मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 2 मई 2023

एमसीआईआर

विषयवस्तु

	खंड	पृष्ठ
I.	मुद्रा प्रबंधन	1
II.	विनियमन	1-2
III.	फिनटेक	2
IV.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	2-3
V.	वित्तीय बाज़ार	2-3
VI.	वित्तीय समावेशन और विकास	3
VII.	प्रकाशन	3-4
VIII.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मुद्रा प्रबंधन

₹2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना

रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2023 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से हटाने की घोषणा की। हालांकि, यह नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद कर दें।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत ₹2000/-मूल्यवर्ग के बैंकनोट, नवंबर 2016 में ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्यवर्ग बैंकनोट के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, उस समय अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। ₹2000/- मूल्यवर्ग के नोट जारी करने के उद्देश्य की प्राप्ति और अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के कारण वर्ष 2018-19 से ₹2000/- मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹2000/- मूल्यवर्ग के अधिकांश बैंकनोट, जो 2017 के पूर्व जारी किए गए थे और वे अपनी अनुमानित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं और आमतौर पर यह पाया गया है इन बैंकनोट को लेन-देन के लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने कहा कि आम जनता अपने बैंक खातों में ₹2000 के नोट जमा कर सकते हैं और/या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया सामान्य रूप में ही रहेगी, अर्थात् बिना किसी प्रतिबंध के और वर्तमान अनुदेशों तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन होगी। परिचालनात्मक सुविधा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा बैंक शाखाओं के नियमित कार्यकलापों को बाधित किए बिना एक समय में ₹2000 मूल्यवर्ग के ₹20,000 तक की राशि को 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के लिए बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, सभी बैंक ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जमा करने/अथवा बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

राज्यों के यूसीबी और प्राथमिक यूसीबी के साथ गवर्नर की बैठक

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2023 को नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी), विभिन्न राज्यों के यूसीबी के चुनिंदा संघों और चुनिंदा यूसीबी के सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक श्री एस सी मुर्मू, श्री सौरव सिन्हा, श्री जयंत कुमार दाश, श्री नीरज निगम के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

गवर्नर ने अपने उद्बोधन भाषण में, जमीनी स्तर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और आर्थिक संवृद्धि का समर्थन करने में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक एक मजबूत, सुदृढ़ और आघात-सहनीय यूसीबी क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी हितधारकों को सहयोग की भावना से मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने यूसीबी और उनके संघों को, जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए सुशासन और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने, उपयुक्त कारोबारी कार्यनीतियों को अपनाने और अपने कारोबार को बनाए रखने तथा विकसित करने एवं अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधानों का पता लगाने हेतु सूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के लिए सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 22 मई 2023 और 29 मई 2023 को क्रमशः नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बोर्ड के निदेशकों और मुंबई में निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किए। दोनों सम्मेलनों का उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने किया। सम्मेलनों का विषय 'बैंकों में सुशासन – धारणीय संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना' था।

गवर्नर ने सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में हाल के दिनों में कई प्रतिकूल आघातों का सामना करते हुए बेहतर वित्तीय कार्य-निष्पादन के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने और आघात- सहनीयता बनाए रखने में बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने बैंकों के निदेशकों से सुशासन और आश्वासन कार्यों (जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा) को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया ताकि बैंक प्रारंभिक चरण में जोखिमों की पहचान कर उन्हें कम करने में सक्षम हो सकें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

केंद्रीय बोर्ड की बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 602वीं बैठक 19 मई 2023 को मुंबई में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा संबंधित चुनौतियों की समीक्षा की। बोर्ड ने वर्ष अप्रैल 2022 – मार्च 2023 के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर भी चर्चा की और लेखा वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को अनुमोदित किया। बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर 6% रखने का निर्णय लेते हुए लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹87,416 करोड़ के अंतरण को अनुमोदित किया।

उप गवर्नर श्री महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक, यथा, श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, श्री पंकज रमणभाई पटेल एवं डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने भी बैठक में भाग लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

100 दिन 100 भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 मई 2023 को बैंकों के लिए '100 दिन 100 भुगतान' अभियान की घोषणा की है ताकि 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 अदावी जमाराशियों का पता लगाया जा सके और उनका निपटान किया जा सके। यह उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमाराशियों को उनके सही मालिकों/ दावेदारों को लौटाने के लिए चल रहे प्रयासों और पहलों का पूरक होगा। बैंक 01 जून 2023 से अभियान की शुरूआत करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पंजीकरण प्रमाणपत्र

रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मई 2023 और 26 मई 2023 को क्रमशः सात और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया है।

इसके अलावा, 12 मई 2023 और 26 मई 2023 को क्रमशः 14 और 19 एनबीएफसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को वापस कर दिया। अतः रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके सीओआर को रद्द कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

नोडल अधिकारी

रिज़र्व बैंक ने 25 मई 2023 को श्रीमती सेंटा जॉय, मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग को क्षेत्र स्तर के मामलों पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ संपर्क के एक नोडल बिंदु के रूप में नामित किया। इसका संकेत 12 मई 2023 को नेशनल फेडरेशन ऑफ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएएफ़सीयूबी), कुछ राज्यों के यूसीबी के परिसंघों (फेडरेशनों) और चुनिंदा यूसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ गवर्नर की बैठक के दौरान दिया गया था। प्रत्येक बैंक संबंधी मामले मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत निपटाए जाते रहेंगे।।

नामित वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक तिमाही शहरी सहकारी बैंकों/संघों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बातचीत करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

समामेलन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2023 को मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र का दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के साथ समामेलन की योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना को स्वीकृति, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदान की गई है।

यह योजना 29 मई 2023 से प्रभावी होगी। मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएं प्रभावी तारीख से दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. फिनटेक

जी20 टेकस्प्रिंट 2023

भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के बीआईएस इनोवेशन हब (बीआईएसआईएच) ने 4 मई 2023 को संयुक्त रूप से जी20 टेकस्प्रिंट के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया, जो सीमापारीय भुगतान में सुधार के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता 04 मई 2023 से 04 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विश्व भर के डेवलपर्स के लिए खुली है और यह टेकस्प्रिंट अगस्त / सितंबर 2023 के आसपास समाप्त होगी। टेकस्प्रिंट 2023 सीमापारीय भुगतान संबंधी तीन समस्या विवरणों पर ध्यान केंद्रित करेगा::

i) वैध वित्त जोखिम को कम करने के लिए एएमएल/सीएफटी/प्रतिबंध के लिए प्रौद्योगिकी समाधान।

ii) उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था (ईएमडीई) मुद्राओं में निपटान को सक्षम करने के लिए एफएक्स और चलनिधि प्रौद्योगिकी समाधान।

iii) बहुपक्षीय सीमापारीय सीबीडीसी प्लेटफॉर्म के लिए प्रौद्योगिकी समाधान।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ग्रीनवॉशिंग टेकस्प्रिंट

संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से दिनांक 29 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023) के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए ₹8,88,000 करोड़ की राशि का सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

प्रभार लगाना

रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड/स्टोर वैल्यू कार्ड/चार्ज कार्ड/स्मार्ट कार्ड या किसी अन्य लिखत, जिसे वित्तीय देयता को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता

है, को 'मुद्रा' के रूप में अधिसूचित किया। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में देय कोई भी शुल्क/ प्रभार केवल रुपये में दर्शाया और निपटाया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. वित्तीय बाज़ार

लाइबोर परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2023 को बैंकों और विनियमित संस्थाओं को 1 जुलाई 2023 से लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) से पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने हेतु सूचित किया। बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफ़आई) को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया कि उनके या उनके ग्राहकों द्वारा किए गए कोई भी नए लेन-देन यूएस$ लाइबोर या मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त प्रस्तावित दर (माइफॉर) पर आधारित न हों या उनका मूल्य निर्धारण न किया गया हो। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया गया कि वे यूएस$ लाइबोर (माइफॉर संदर्भित लेन-देन सहित) संदर्भित शेष सभी पारंपरिक वित्तीय संविदाओं में फ़ॉलबैक का अंतर्वेशन सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं। रिज़र्व बैंक ने कहा कि फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा 30 जून 2023 के बाद माइफॉर का प्रकाशन भी बंद कर दिया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वित्तीय समावेशन और विकास

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम

रिज़र्व बैंक ने 9 मई 2023 को सूचित किया कि उद्यम सहायता प्रमाणपत्र (यूएसी) प्राप्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण वर्गीकरण के उद्देश्य से एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पर आईएमई को जारी किए गए प्रमाण पत्र को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के समान माना जाए।

एक बार आईएमई के अनिवार्य रूप से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लेने के पश्चात, यूएपी से यूआरपी में आईएमई के परिवर्तन (ट्रांजिशन) और माइग्रेशन को सक्षम करने के लिए यूएपी और उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल (यूआरपी) के बीच एक इंटरफेस बनाया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. प्रकाशन

मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2023 को वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) जारी की। रिपोर्ट का विषय "टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया" है। रिपोर्ट योगदानकर्ताओं के विचारों को परिलक्षित करती है न कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को।

मुख्य बातें

i) रिपोर्ट में भारत में सतत उच्च संवृद्धि हेतु भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के चार प्रमुख आयामों, अर्थात्, जलवायु परिवर्तन का अभूतपूर्व स्तर और गति; इसके समष्टि आर्थिक प्रभाव; वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ; और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए नीतिगत विकल्पों को शामिल किया गया है।

ii) भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक लक्षित और समयबद्ध जलवायु कार्य योजना शुरू की है और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक, 2023 के अनुसार जी-20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है।

iii) वर्ष 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के लिए जीडीपी की ऊर्जा तीव्रता में प्रति वर्ष लगभग 5 प्रतिशत की त्वरित कमी और 2070-71 तक नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति ऊर्जा-मिश्रण में लगभग 80 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता होगी।

iv) वर्ष 2030 तक भारत की हरित वित्त पोषण आवश्यकता प्रति वर्ष जीडीपी के कम से कम 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

v) सभी नीतिगत उत्तोलकों में प्रगति सुनिश्चित करते हुए किया गया एक संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप, भारत को वर्ष 2030 तक अपने हरित परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जिससे वर्ष 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा का प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2023 को मार्च 2023 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 40वीं छमाही रिपोर्ट जारी की। 28 अप्रैल 2023 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की स्थिति 588.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक बुलेटिन - मई 2023

आज रिज़र्व बैंक ने 22 मई 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का मई 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में दो भाषण, पांच लेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। प्रकाशित पाँच आलेख निम्नवत हैं:

i) **अर्थव्यवस्था की स्थिति**: वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की विपरीत धाराओं में फंसी हुई है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक असहज शांति बनी हुई है क्योंकि वे बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, तथा जमा बीमा की रूपरेखा पर नीति प्राधिकारियों से स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अप्रैल और मई 2023 की पहली छमाही में, घरेलू आर्थिक स्थितियों ने 2022-23 की अंतिम तिमाही में देखी गई गति को बनाए रखा है। नवंबर 2021 के बाद पहली बार अप्रैल 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से नीचे आ गई। कॉर्पोरेट की आय सर्वसम्मत उम्मीदों को मात दे रही है, सुदृढ़ ऋण संवृद्धि से समर्थित बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने मजबूत राजस्व का प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में संवृद्धि निजी खपत, ग्रामीण मांग में सुधार और इनपुट लागत के दबाव में कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र में फिर से उछाल होने की उम्मीद है।

ii) **'निर्यात समानता सूचकांकों के माध्यम से भारत की निर्यात क्षमता का पता लगाना'** देबा प्रसाद रथ, अभिलाषा, मोनिका सेठी और रशिका अरोड़ा द्वारा। यह आलेख निर्यात समानता सूचकांक (ईएसआई) के माध्यम से प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों और बड़े बाजारों में भारत की निर्यात क्षमता की जांच करता है।

iii) **'भारत की स्थिर साम्य मुद्रास्फीति: पुनर्मूल्यांकन'** आर. के. सिन्हा द्वारा। यह आलेख सूक्ष्म-स्तर पर प्रसंभाव्य परिवर्तन का उपयोग करके 2014-22 की अवधि में मुद्रास्फीति के लिए स्थिर स्तर का अध्ययन करता है। मुद्रास्फीति पर अलग-अलग (उत्पाद-समूह) स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह पूर्व-महामारी अवधि और पूर्ण नमूने दोनों के लिए भारत की मुद्रास्फीति के स्थिर स्तर का अनुमान लगाता है।

iv) **'भारत और सीओपी-26 प्रतिबद्धताएं**: खनन क्षेत्र के लिए चुनौतियां': वी. धन्या, गौतम और अर्जित शिवहरे द्वारा। सीओपी26-ग्लासगो में, भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत पूरा करने और 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस संदर्भ में, यह पेपर ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के भविष्य के मार्ग और खनन क्षेत्र पर इसके प्रभाव की जांच करता है।

v) **'अंतिम पड़ाव पर बुनियादी और डिजिटल वित्तीय साक्षरता: ग्रामीण पश्चिम बंगाल की एक झलक'** साक्षी अवस्थी, राखे बालचंद्रन, बरखा गुप्ता, राजस सरॉय, आशीष खोबरागड़े, गुनवीर सिंह, रेखा मिश्रा, शरत चंद्र ढल द्वारा। वित्तीय साक्षरता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वित्तीय समावेशन, विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांवों में, आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है। यह आलेख पश्चिम बंगाल के आठ यादृच्छिक रूप से चुने गए गांवों में वित्तीय साक्षरता के मौजूदा स्तर को प्रस्तुत करता है। आलेख अनुभवजन्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के प्रमुख सामाजिक आर्थिक वाहकों की पहचान करता है और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप का प्रस्ताव करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने 30 मई 2023 को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट इसके केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। इसमें अप्रैल 2022 - मार्च 2023 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के कामकाज और कार्य को शामिल किया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

i) मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) लक्ष्य द्वारा निर्देशित होगी। एमपीसी की कार्रवाइयाँ संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत अधिक या कम की सीपीआई मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्देशित होती रहेंगी।

ii) विदेशी स्रोतों की आय में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 23 में उच्च अधिशेष रहा। रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 में केंद्र को उच्च अधिशेष अंतरित किया। 19 मई 2023 को रिज़र्व बैंक के बोर्ड ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹87,416 करोड़ के अंतरण को मंजूरी दी, जो कि मार्च 2022 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष के ₹30,307 करोड़ के केंद्रीय बैंक के अधिशेष अंतरण से काफी अधिक है।

iii) घरेलू मुद्रास्फीति, वैश्विक कारकों से वित्त वर्ष 23 में गिल्ट प्रतिफल दृढ़ हुई। घरेलू मुद्रास्फीति और वैश्विक कारकों ने 2022-23 के दौरान गिल्ट प्रतिफल दृढ़ किया। अप्रैल-जून में प्रतिफल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो ऑफ-साइकल ब्याज दर वृद्धि और मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ-साथ अप्रैल और मई के लिए उच्च खुदरा मुद्रास्फीति प्रिंटों से प्रेरित थी।

iv) रिज़र्व बैंक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम का परिचालन ढांचा 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में देश के उभरते समष्टि-आर्थिक वातावरण की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

v) रिज़र्व बैंक का जोखिम प्रबंध विभाग मौजूदा सुभेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण नीति, 2019 की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य "रक्षा" की विभिन्न पंक्तियों को मजबूत करके 2023-24 में अपने जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है।

vi) रिज़र्व बैंक का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में अपनी 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' के अंतर्गत एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना है जो खुदरा निवेशकों को सरकारी बॉण्ड में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा।

vii) रिज़र्व बैंक चालू वित्त वर्ष में थोक और खुदरा क्षेत्रों में डिजिटल रुपया प्रायोगिक परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। डिजिटल रुपया- थोक क्षेत्र में पहली प्रायोगिक परियोजना 1 नवंबर 2022 को शुरू हुई और खुदरा क्षेत्र में पहली प्रायोगिक परियोजना 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई।

viii) रिज़र्व बैंक की चालू वित्त वर्ष में दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर अपने अंतिम मानदंड लागू करने और दिवालियापन के समाधान हेतु देश के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की योजना है।

ix) जुलाई से सितंबर 2022 में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद भारत का चालू खाता घाटा 'धारणीय स्तर' के भीतर बना रहा।

x) भारत ने यूक्रेन में युद्ध जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के सापेक्ष वित्त वर्ष 23 में आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत समष्टि-आर्थिक नीति के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था पुनरावर्ती वैश्विक आघातों के प्रति स्वयं को सुदृढ़ करने में कामयाब रही।

xi) चालू वित्त वर्ष के लिए, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत निर्धारित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 6.4 प्रतिशत था।

xii) बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की कुल राशि मार्च को समाप्त वर्ष में 49.4 प्रतिशत घटकर ₹30,252 करोड़ हो गई।

xiii) मार्च को समाप्त वर्ष में रिज़र्व बैंक की स्वर्ण धारिता 34.21 टन बढ़कर 794.63 टन हो गई। धारिता में से, 301.09 टन या 37.9 प्रतिशत को जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया था, जबकि शेष को आस्तियों के रूप में रखा गया था।

xiv) 2022-23 (अप्रैल-मार्च) में प्रचलन में बैंक नोटों का कुल मूल्य ₹33,48,228 करोड़ हो गया, जो 2021-22 के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक है। मात्रा के संदर्भ में, प्रचलन में बैंक नोट बढ़कर 13,62,137 लाख हो गए, जो 2021-22 में 5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में मार्च में समाप्त वर्ष में 4.4 प्रतिशत अधिक था।

xv) पर्यवेक्षण विभाग अप्रैल से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष में अननुपालन करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करने और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

xvi) भारत की अध्यक्षता के दौरान ग्रुप ऑफ 20 की प्राथमिकताएं, वैश्विक ऋण संकट, बहुपक्षीय विकास बैंक सुधारों और क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक दृष्टिकोण से लेकर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कराधान तक होंगी।

xvii) रिज़र्व बैंक ने कहा कि कई कारकों के कारण जो संवृद्धि के लिए अधोगामी जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं, भारत की संवृद्धि क्षमता में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधारों को बनाए रखने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति के दबाव के कम होने, समष्टि-आर्थिक नीतियों और मजबूत वित्तीय और कॉर्पोरेट क्षेत्र के कारण भारत की संवृद्धि की गति इस वित्तीय वर्ष में जारी रहने की संभावना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2023 माह के दौरान जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नवत हैं:

क्र. सं.	आंकड़े
1	रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां
2	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मई 2023
3	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अप्रैल 2023
4	रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/ विक्रय
5	रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं
6	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण
7	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)
8	थोक मूल्य सूचकांक
9	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण)

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।